FORM No. III

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम टोंक

रतन बनाम तहसीलदार,टोंक

किस्म मुकद्दमा दावा उद्घोषणा नं. 29 सन् 2017

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 09.03.17 | अभिभाषक वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत उदघोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 कार्यालय रिपोर्ट होकर पेश हुआ। अभिभाषक वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी की जरिये सम्मन मय नकल तलबी की जाकर पत्रावली दिनांक 03.05.2017 को पेश हों।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>टोंक (राज.) | 83<br>10-3-17 |
| 3-5-17 | वकील प्रार्थी/अप्रार्थी उप./अनु.पत्रावली राजस्व लोक अदालत प्रा.पं. ... में दिनांक 27-5-17 को पेश हो<br>उपखण्ड अधिकारी,टोंक | |
| रतना | पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान–2017 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत केम्प–सोरण में पेश हुयी। पक्षकारान उपस्थित। वादी ने वाद में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराया तथा वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 116 रकबा 3 बीघा वाके ग्राम सोरण जो राजस्व रिकार्ड में सिवायचक भूमि दर्ज है को दिनांक 12.02.1985 के आवंटन आदेश के आधार पर अपनी खातेदारी की घोषणा बाबत वाद प्रस्तुत किया है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार खसरा नम्बर 116/1 रकबा 23 बीघा 16 बिस्वा बारानी–II सिवायचक राजकीय भूमि है। वादी ने उक्त भूमि पर अपने कब्जे के संबंध में कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये है। उक्त आवंटन आदेश के वर्तमान में अस्तीत्व के संबंध में भी पक्षकारान ने कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की है। यह जाचं का विषय है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण रिमाण्ड किये जाने योग्य है।<br>प्रकरण तहसीलदार टोंक को रिमाण्ड किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी के कब्जे काश्त के संबंध में जांच करें तथा उक्त आवंटन आदेश की भी जांच करें। यदि प्रकरण खातेदारी दिये जाने योग्य पाया जाता है तो प्रकरण तैयार कर तीन माह की अवधि में खातेदारी के लिए भिजवाऐं। वादी को निर्देशित किया जाता है कि तहसीलदार टोंक के समक्ष उपस्थित होकर अपने पक्ष के सबूत दस्तावेजात आदि पेश करें।<br>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।<br>(डॉ0 सूरज सिंह नेगी)<br>आर0ए0एस0<br>उपखण्ड अधिकारी, टोंक<br>उपखण्ड अधिकारी<br>टोंक (राज.) | |

Scanned by CamScanner